***न्यायमूर्ति* मनोज बजाज के समक्ष**

दया राम और अन्य - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादीगण

2021 का सी.आर.डब्ल्यू.पी. नंबर 5212

10 जून, 2021

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - भारतीय दंड संहिता, 1860* की धाराएँ *363, 366ए, 379 और 120-बी-लिव-इन-रिलेशनशिप परिवार से जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण - याचिकाकर्ता लड़की केवल 14 वर्ष और 8 महीने की है और याचिकाकर्ता लड़का 20 वर्ष का है - माना जाता है, इस तरह के रिश्ते को वैध पवित्रता प्रदान करने के लिए, ऐसे भागीदारों द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है - केवल इसलिए कि दो व्यक्ति कुछ दिनों से एक साथ रह रहे हैं, कोरे कथन पर आधारित लिव-इन-रिलेशनशिप का दावा यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है कि वे वास्तव में लिव-इन-रिलेशनशिप में हैं। सिरसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है कि राजस्थान राज्य पुलिस साथ समन्वय करने के बाद नाबालिग लड़की की कस्टडी उसके माता-पिता को बहाल की जाए। राज्य सरकारे *बाल विवाह के खतरे को खत्म* करे ।

अदालत ने निर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सिरसा को यह सुनिश्चित करने के लिए एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है कि राजस्थान पुलिस के साथ समन्वय के बाद नाबालिग लड़की की अभिरक्षा उसके माता-पिता को बहाल की जाए।

(पैरा 16)

आगे निर्धारित किया कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह सुझाव वर्ष 2017 में दिया गया था, लेकिन इसे पंजाब, हरियाणा राज्यों और केंद्र

शासित प्रदेश प्रशासन, चंडीगढ़ का ध्यान आकर्षित करना बाकी है, इसलिए, इस अदालत को बाल विवाह के खतरे को खत्म करने के लिए राज्यों को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने के लिए राज्यों को याद दिलाना आवश्यक लगता है।

(पैरा 18)

लुपिल गुप्ता वकील ।

याचिकाकर्ताओं

सुखदीप परमार, डीएजी, हरियाणा।

मनोज बजाज, जे ।

1) याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने अभी तक विवाह योग्य आयु प्राप्त नहीं की है, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस आपराधिक रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है ताकि आधिकारिक प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को उनके अलग हो चुके परिवार के सदस्यों से उनके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए जा सकें, जो उनके लिव-इन-रिलेशनशिप का विरोध कर रहे हैं।

2) इस याचिका को दायर करने के लिए संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता नंबर 1-दया राम का जन्म 18.04.2001 (20 साल और 2 महीने की उम्र) को हुआ था और याचिकाकर्ता नंबर 2-रीनू का जन्म 25.10.2006 (उम्र 14 साल और 8 महीने) को हुआ था, जो पिछले एक साल से एक-दूसरे को जानते थे, जो समय बीतने के साथ प्यार में पड़ गए, लेकिन रीनू के माता-पिता ने उनके रिश्ते का विरोध किया। चूंकि रीनू के माता-पिता अपनी पसंद के लड़के के साथ उसकी शादी करने की व्यवस्था कर रहे थे और यह जानने पर, उसने उनसे ऐसा नहीं करने का अनुरोध किया, हालांकि, माता-पिता अपने फैसले पर अड़े रहे। याचिकाकर्ता नंबर 2 ने 01.06.2021 को अपना घर छोड़ दिया और याचिकाकर्ता नंबर 1 से संपर्क किया और विवाह योग्य आयु प्राप्त करने तक लिव-इन-रिलेशनशिप में एक साथ रहने

का फैसला किया। दलीलों के अनुसार, यह आशंका है कि याचिकाकर्ता नंबर 2 के माता-पिता उन्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिस पर उन्होंने एक अभ्यावेदन 03.06.2021 (अनुलग्नक पी-3) डाक द्वारा सिरसा के पुलिस अधीक्षक को भेजा और रीनू के माता-पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रार्थना की। चूंकि अभ्यावेदन आधिकारिक प्रतिवादियों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में विफल रहा है, इसलिए आज तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, अतः, याचिकाकर्ताओं ने आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अच्छे और बुरे को समझने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हैं, जो एक-दूसरे के प्यार में हैं और शादी करने का फैसला किया है, लेकिन उनके प्रस्ताव को रीनू के माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया था, इसलिए उनके पास लिव-इनरिलेशनशिप में एक साथ रहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आज तक, याचिकाकर्ताओं के बीच कोई शारीरिक अंतरंगता नहीं है क्योंकि वे वैधानिक विवाह योग्य आयु प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए, निजी उत्तरदाताओं को उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के वकील ने **प्रीति और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** व सोनिया और अन्य बनाम ***हरियाणा राज्य और अन्य बनाम* अनुलग्नक** पी -4 और पी -5 क्रमश: ***में दिए गए इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है।***

4) सुनवाई के समय, विद्वान वकील ने **सीमा कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य** मामले में दिनांक 03.06.2021 के फैसले की ***प्रतियां और साथ ही गुरविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य*** (2021 के अपील की विशेष अनुमति (सीआरएल) संख्या 4028) में ***पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.06.2021 के आदेश*** की प्रतियां पेश की है और तर्क दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान की गई गारंटी के मद्देनजर, उनके जीवन के अधिकार को

खतरे में नहीं डाला जा सकता है और याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आधिकारिक प्रतिवादियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की प्रार्थना करता है।

5) उपरोक्त अनुरोध का राज्य के विद्वान वकील श्री सुखदीप परमार जिन्हें एसआई देवी लाल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, द्वारा जोरदार विरोध किया गया है, इस आधार पर कि याचिकाकर्ताओं ने कार्रवाई के वैध कारण के बिना इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है और यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उनके अनुसार, याचिकाकर्ता नंबर 2 एक नाबालिग है, जिसे याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा अपने प्राकृतिक अभिभावकों की कानूनी अभिरक्षा से हटा दिया गया था और उसके पिता (प्रतिवादी नंबर 5) द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर, धारा 363, 366-ए, 379 और 120-बी आईपीसी के तहत 23.05.2021 को एक मामला एफआईआर नंबर 200 दर्ज किया गया था, जो पहले से ही दया राम और अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) में दर्ज है। राज्य के वकील ने उक्त एफआईआर की प्रति यह दिखाने के लिए पेश की है कि दया राम अन्य लोगों के साथ एक आरोपी है और पुलिस द्वारा वांछित है, इसलिए इस अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वह प्रार्थना करते है कि रिट याचिका खारिज कर दी जाए।

6) पक्षकारों के वकीलों को सुना गया और उनकी सहायता से मामले की फाइल का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया।

7) समाज, पिछले कुछ वर्षों से, सामाजिक मूल्यों में गहरे बदलाव का अनुभव कर रहा है, विशेष रूप से उत्साही युवाओं के बीच, जो शायद ही कभी पूर्ण स्वतंत्रता की खोज में, अपने माता-पिता आदि का साथ अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने के लिए छोड़ देते हैं, और आगे अपने संबंध पर अदालत की मुहर पाने के लिए, वे अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करके सुरक्षा के लिए याचिकाएं दायर करते हैं। इस तरह की याचिकाएं आमतौर पर केवल लड़की के असंतुष्ट माता-पिता या अन्य करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ खतरे की आशंका के एकमात्र आधार पर आधारित होती

हैं, क्योंकि जोड़े के फैसले का लड़के के परिवार के सदस्यों द्वारा शायद ही कभी विरोध किया जाता है। एक साथ रहने का उनका अधिकार या तो उनके अचानक, गुप्त और छोटे गंतव्य विवाह पर या लिव-इन-रिलेशनशिप पर आधारित है। बेशक, पीड़ित व्यक्ति वैकल्पिक उपाय का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में याचिकाएं इस अदालत की गोद में आती हैं क्योंकि रिट याचिकाओं के अनुसार, वैकल्पिक उपाय कम लाभकारी है। ऐसी अधिकांश याचिकाओं में औपचारिक प्रतीकात्मक कथन होते हैं, कार्रवाई के काल्पनिक कारण के आधार होते हैं, और शायद ही कभी खतरे के 'यथार्थ' या 'वास्तविक' अस्तित्व पर आधारित होते हैं, और इस प्रकार के मामलों में इस अदालत का काफी समय लगता है, वह भी सुनवाई के लिए लाइन में इंतजार कर रहे कई अन्य मामलों की कीमत पर।

8) इन सभी याचिकाओं में प्रार्थना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार पर आधारित है। अनुच्छेद 21 में निहित "जीवन का अधिकार" शब्द इसके शाब्दिक अर्थ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बच्चों और महिलाओं के अधिकारों को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि वे दुर्व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद 15 (3) भी महिलाओं और बच्चों के पक्ष में झुकता है क्योंकि यह राज्य को उनके पक्ष में कानून बनाने का अधिकार देता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *स्वतंत्र विचार* ***बनाम*** भारत संघ और अन्य ***मामले में बाल विवाह के प्रतिकूल प्रभावों का गहराई से विश्लेषण किया गया था***[1]। संबंधित टिप्पणियां निम्नानुसार पढ़ी गई हैं: -

> "89. हमने दस्तावेजी सामग्री रूपी धन का उल्लेख किया है जो यह दर्शाता है कि कम उम्र में शादी और कम उम्र में संभोग न केवल उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में बल्कि उसके पोषण, उसकी शिक्षा, उसकी रोजगार क्षमता और उसके सामान्य कल्याण के संदर्भ में भी लड़की पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। मामलों को बदतर बनाने के लिए, हानिकारक

[1] (2017) 10 SCC 800

प्रभाव बालिकाओं के बच्चों तक पहुँच सकता है जो कुपोषित हो सकते हैं और विभिन्न कारकों के कारण गरीब स्थिति में रहने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए कम उम्र में शादी करने से पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, कम उम्र में विवाह या बाल विवाह की प्रथा, भले ही परंपरा और रीति-रिवाजों द्वारा पवित्र की गई हो, आज भी इसके हानिकारक प्रभावों और प्रारंभिक गर्भावस्था के हानिकारक प्रभावों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ज्ञान के साथ एक अवांछनीय प्रथा हो सकती है, क्या यह पारंपरिक प्रथा अभी भी जारी रहनी चाहिए? हम ऐसा नहीं सोचते हैं और जितनी जल्दी इसे छोड़ दिया जाता है, यह बालिकाओं और पूरे समाज के सर्वोत्तम हित में होगा।

90. हमें संविधान के अनुच्छेद 21 के अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए जो एक लड़की को सम्मान का जीवन जीने का मौलिक अधिकार देता है। हमारे सामने रखी गई दस्तावेजी सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि एक कम उम्र में शादी एक लड़की के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को छीन लेती है और उसे एक प्रकार से, यौन शोषण के अधीन करती है। किसी भी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी लड़की सम्मान का जीवन जीती है। एक लड़की के शारीरिक अखंडता को बनाए रखने के अधिकार को आईपीसी द्वारा पवित्र पारंपरिक प्रथा द्वारा प्रभावी रूप से नष्ट कर दिया जाता है। आईपीसी की धारा 375 के प्रयोजनों के लिए, उसका पति प्रभावी रूप से उसके शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और उसकी सहमति के बिना या उसकी इच्छा के बिना उसे यौन संभोग कर सकता है क्योंकि ऐसी गतिविधि बलात्कार नहीं होगी। विसंगतिपूर्ण रूप से, हालांकि उसका पति उसका बलात्कार कर सकता है, लेकिन वह उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो उसे आईपीसी के प्रावधानों के तहत दंडित किया जा सकता है। इसे एलसीआई ने अपनी 172 वीं रिपोर्ट में मान्यता दी थी, लेकिन इस पर

टिप्पणी नहीं की गई थी। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की के पति द्वारा उसके इलाज के लिए अलग और तर्कहीन मानक निर्धारित किए गए हैं और विभिन्न विधियों के प्रावधानों को सुसंगत करना और आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों को भी सुसंगत बनाना आवश्यक है।

9) सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट थॉट्स केस (उपरोक्त) में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006; यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012; भारतीय दंड संहिता, 1860 और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित अन्य दंड प्रावधानों सहित विभिन्न विधियों का विश्लेषण किया और निम्नलिखित टिप्पणियां करके अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया।

> "99. हालांकि, पॉक्सो अधिनियम की धारा 42-ए बहुत अधिक महत्व और महत्व का है। इस धारा में प्रावधान है कि पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान लागू किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं और इसमें आईपीसी भी शामिल है। इसके अलावा, धारा में प्रावधान है कि पॉक्सो अधिनियम और किसी अन्य कानून के प्रावधानों के बीच किसी भी असंगति की स्थिति में, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा। इससे यह पता चलता है कि भले ही आईपीसी एक लड़की के वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है, फिर भी लड़की का पति गंभीर यौन हमले के लिए पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा।
>
> 100. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो सकता है कि चूंकि बलात्कार आईपीसी के तहत एक अपराध है (धारा 375 के अपवाद 2 के अधीन) जबकि पेनिट्रेटिव यौन हमला या गंभीर यौन हमला पॉक्सो अधिनियम के तहत एक अपराध है और दोनों विशिष्ट और अलग विधान हैं, इसलिए आईपीसी के प्रावधानों और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई असंगति नहीं है। हालांकि,

तथ्य यह है कि आईपीसी के तहत "बलात्कार" की परिभाषा और पॉक्सो अधिनियम के तहत "पेनिट्रेटिव यौन हमले" की परिभाषा के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। एक विवाहित लड़की के बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय गंभीर यौन हमले के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त, संबंधित अपराधों के लिए सजा समान है, सिवाय इसके कि आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के मद्देनजर 15 से 18 वर्ष की आयु की लड़की का वैवाहिक बलात्कार, बलात्कार नहीं है। संक्षेप में, एक लड़की का वैवाहिक बलात्कार प्रभावी रूप से और कुछ नहीं बल्कि गंभीर यौन हमला है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों इसे आईपीसी के प्रावधानों के तहत दंडनीय नहीं होना चाहिए। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि बलात्कार और पेनिट्रेटिव यौन हमले और एक विवाहित लड़की के बलात्कार और गंभीर यौन हमले के बीच केवल एक काल्पनिक या भाषाई अंतर करने की कोशिश की जाती है। इस भेद के लिए कोई तर्क नहीं है और यह पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण भेद के अलावा कुछ भी नहीं है ।

अंत में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:-

"..... उद्देश्यपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण निर्माणवादी होने के नाते, हमारी राय है कि यह एकमात्र व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध है। इसलिए, हमारे पास बच्चों से संबंधित कानूनों की प्रणाली को सुसंगत बनाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है और आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को अब सार्थक रूप से पढ़ा जाना चाहिए: "एक आदमी द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संभोग या यौन कृत्य, पत्नी अठारह वर्ष से कम उम्र की नहीं है, यह बलात्कार नहीं है। इस पठन के माध्यम से ही विवाहित बालिकाओं के लिए सामाजिक न्याय की मंशा और हमारे संविधान निर्माताओं की संवैधानिक दृष्टि को बचाया और संरक्षित किया जा सकता है और शायद प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

10) इसमें कोई संदेह नहीं है कि विपरीत लिंग के दो वयस्कों के बीच लिव-इन-रिलेशनशिप की दूसरी अवधारणा को भारत में भी मान्यता मिली है, क्योंकि विधायिका ने "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005" और धारा 2 (एफ) में "घरेलू संबंध" को उदारतापूर्वक परिभाषित करते हुए इस तरह के गठबंधन में कुछ वैधता प्रदान की है। हालांकि, इस लोच के बावजूद, समाज के कुछ वर्ग इस तरह के संबंधों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक हैं। यह लगातार ध्यान में रखा जाना चाहिए कि रिश्ते की अवधि एक-दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ मिलकर इस तरह के रिश्ते को वैवाहिक संबंधों के समान बनाती है। इंदिरा सरमा ***बनाम*** वी.के.वी. सरमा[2] ***मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय*** **ने पहले ही लिव-इन-रिलेशनशिप की प्रकृति पर चर्चा की है और निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं: -**

> "56. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हम परीक्षण करने के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार कर सकते हैं कि किन परिस्थितियों में, लिव-इन संबंध डीवी अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत "विवाह की प्रकृति में संबंध" अभिव्यक्ति के भीतर आएगा। दिशानिर्देश, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे रिश्तों के लिए कुछ अंतर्दृष्टि देंगे।
>
> संबंध की अवधि- डीवी अधिनियम की धारा 2 (एफ) में "किसी भी समय पर" शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि रिश्ते को बनाए रखने और जारी रखने के लिए उचित अवधि जो तथ्य की स्थिति के आधार पर अलग-अलग मामलों में भिन्न हो सकती है।
>
> साझा परिवार- अभिव्यक्ति को डीवी अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत परिभाषित किया गया है और इसलिए, आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

---

[2] (2013) 15 SCC 755

संसाधनों और वित्तीय व्यवस्थाओं की पूलिंग- एक-दूसरे या उनमें से किसी एक को आर्थिक रूप से समर्थन देना, बैंक खातों को साझा करना, संयुक्त नाम से या महिला के नाम पर अचल संपत्ति प्राप्त करना, व्यवसाय में दीर्घकालिक निवेश, अलग-अलग और संयुक्त नामों में शेयर, ताकि लंबे समय तक संबंध बना रहे, एक मार्गदर्शक कारक हो सकता है।

घरेलू व्यवस्था- घर चलाने के लिए विशेष रूप से महिला को जिम्मेदारी सौंपना, घरेलू गतिविधियों जैसे सफाई, खाना बनाना, घर का रखरखाव या रखरखाव आदि करना विवाह की प्रकृति में एक रिश्ते का संकेत है।

यौन संबंध- विवाह जैसा संबंध यौन संबंध को संदर्भित करता है, न केवल आनंद के लिए, बल्कि भावनात्मक और अंतरंग संबंध के लिए, बच्चों की संतानोत्पत्ति के लिए, ताकि भावनात्मक समर्थन, साहचर्य और भौतिक स्नेह, देखभाल आदि भी दिया जा सके।

बच्चे- बच्चे होना विवाह की प्रकृति में एक रिश्ते का एक मजबूत संकेत है। इसलिए, पक्षकार लंबे समय तक संबंध रखने का इरादा रखती हैं। उनका पालन पोषण और सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी साझा करना भी एक मजबूत संकेत है।

सार्वजनिक रूप से समाजीकरण- जनता के लिए तत्परता और दोस्तों, संबंधों और अन्य लोगों के साथ मेलजोल करना, जैसे कि वे पति और पत्नी हैं, रिश्ते को पकड़ने के लिए एक मजबूत परिस्थिति विवाह की प्रकृति में है।

पक्षकारों का इरादा और आचरण- पक्षकारों का सामान्य इरादा कि उनका रिश्ता क्या होना है और शामिल करना है, और उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के रूप में, मुख्य रूप से उस रिश्ते की प्रकृति को निर्धारित करता है।

11) उपरोक्त को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि इस तरह के संबंध को वैध पवित्रता प्रदान करने के लिए, ऐसे भागीदारों द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। केवल इसलिए कि दोनों वयस्क कुछ दिनों से एक साथ रह रहे हैं, कोरे कथन के आधार पर लिव-इन-रिलेशनशिप का उनका दावा यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है कि वे वास्तव में लिव-इन-रिलेशनशिप में हैं।

12) अब मामले पर वापस आते हुए और दलीलों और तर्कों पर विचार करने पर, यह अदालत पाती है कि याचिकाकर्ता नंबर 2-रीनू केवल 14 साल और 8 महीने की नाबालिग है। इसके अलावा, पक्षों के ज्ञापन के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता नंबर 1-दया राम उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, खुद को नाबालिग का अगला दोस्त होने का दावा कर रहा है। इसके अलावा, रिट याचिका पर किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और दलीलों के समर्थन में, केवल याचिकाकर्ता नंबर 1 का हलफनामा दायर किया गया है। हालांकि, रिट याचिका में कही गई बातों के अनुसार, सिरसा में दया राम के साथ शामिल होने के लिए स्वेच्छा से माता-पिता का घर छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए नाबालिग लड़की के प्राकृतिक अभिभावकों पर पूरा दोष लगाया गया है, लेकिन उसके द्वारा कोई दलील नहीं दी गई है कि उसका हित नाबालिग लड़की के हित के प्रतिकूल नहीं है और वह नाबालिग के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ता नंबर 1 पहले से ही 23.05.2021 के केस एफआईआर नंबर 200 में आरोपी है और उस पर प्रतिवादी नंबर 5 की नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप है, इसलिए, खुद को नाबालिग लड़की के वैध प्रतिनिधि के रूप में दावा करने का उसका रुख स्वीकृति के लायक नहीं है।

13) इसके अलावा, प्रतिनिधित्व (अनुलग्नक पी -3) भी अस्पष्ट है, जिसमें उनकी दोस्ती की पृष्ठभूमि के बारे में प्रासंगिक विवरण और भौतिक तथ्य; उन्हें दी गई कथित धमकी की तारीख और तरीका या माध्यम। शामिल नहीं हैं; इसके अलावा, रिट याचिका या अभ्यावेदन में उल्लिखित निजी उत्तरदाताओं के संबंध या विवरण नहीं हैं। प्रतिनिधित्व के अनुसार, यहां तक कि दया राम के माता-पिता ने भी उनके लिव-इन-रिलेशनशिप का विरोध

किया था, लेकिन उन्हें याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है। हैरानी की बात है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने यह नहीं बताया है कि नाबालिग लड़की ने घर छोड़ने के बाद अपने माता-पिता के खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत क्यों नहीं की या माता-पिता के साथ अपने मतभेदों को हल करने के लिए किसी अन्य करीबी रिश्तेदार से संपर्क क्यों नहीं किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 5 के कहने पर दर्ज उपरोक्त एफआईआर का बचाव करने के लिए याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा वर्तमान याचिका जल्दबाजी में दायर की गई है।

14) याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन न्यायिक फैसलों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान मामले पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि प्रीति के मामले और सीमा के मामलों में, लड़की नाबालिग थी और निर्णयों में इस तथ्य को नोटिस करने के बावजूद, नाबालिग लड़की के उचित प्रतिनिधित्व के बिना याचिकाओं की विचारणीयता की जांच नहीं की गई थी। इसी तरह, सोनिया के मामले में निर्णय भी इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त मामले में, लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों याचिकाकर्ता वयस्क थे और अदालत ने उक्त मामले के उपयुक्त मुद्दों की जांच करने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व को देखने का निर्देश दिया। इसी तरह, शीर्ष अदालत द्वारा पारित 04.06.2021 का आदेश भी वर्तमान मामले में लागू नहीं है।

15) नतीजतन, यह अदालत असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है और रिट याचिका खारिज की जाती है।

16) इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सिरसा को यह सुनिश्चित करने के लिए एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है कि राजस्थान पुलिस के साथ समन्वय के बाद नाबालिग लड़की की अभिरक्षा उसके माता-पिता को बहाल की जाए।

17) अलग होने से पहले, यह अदालत यह देखना उचित समझती है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के माध्यम से दंडात्मक प्रावधान

होने के बावजूद, लेकिन उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बाल विवाह हो रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***स्वतंत्र विचार के मामले*** में भारत सरकार और राज्य सरकारों को पहले ही कर्नाटक राज्य के निर्णय का पालन करने का सुझाव दिया है, जिसने दिनांक 20.04.2017 के एक संशोधन के माध्यम से बाल विवाह को आरम्भ से अमान्य घोषित कर दिया था। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा 154 और 155 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"154. उपरोक्त अवलोकन करने के बाद,

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाल विवाह की प्रथा की सीमा का पर्दाफाश करने के लिए इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉ न्यायमूर्ति शिवराज वी पाटिल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह समाज से बाल विवाह की बुराई को जड़ से समाप्त करने और इसे अधिकतम संभव सीमा तक रोकने के तरीके और साधन सुझाए। कोर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और विभिन्न सिफारिशें कीं। इसकी एक सिफारिश यह थी कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को प्रारंभ से ही अमान्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। कोर समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में, कर्नाटक राज्य में पीसीएमए में एक संशोधन किया गया था और उप-धारा 2 धारा 3 के बाद धारा 1(क) जोड़ी गई है, जो निम्नानुसार है-

"(1ए) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, बाल विवाह निषेध (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 2016 के लागू होने की तारीख को या उसके बाद किया गया प्रत्येक बाल विवाह शुरू से ही अमान्य होगा।

155. इसलिए, कर्नाटक राज्य में किसी भी बच्चे का विवाह, अर्थात 18 वर्ष से कम आयु की महिला और 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष का विवाह शुरू से ही अमान्य है। इसप्रकार पूरे देश

में कानून ऐसा ही होना चाहिए था। जहां विवाह अमान्य है, वहां पति या पत्नी नहीं हो सकते है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के संरक्षण का लाभ उन व्यक्तियों द्वारा नहीं उठाया जा सकता है, जो अवैध और अमान्य विवाह के अनुसार "बाल वधू" के "पति" होने का दावा करते हैं।

18) माननीय उच्चतम न्यायालय का यह सुझाव वर्ष 2017 में दिया गया था, लेकिन पंजाब, हरियाणा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़ का ध्यान अभी तक आकषत नहीं किया गया है, इसलिए इस न्यायालय को बाल विवाह के खतरे को समाप्त करने के लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने के लिए राज्यों को याद दिलाना आवश्यक लगता है।

19) निर्णय की एक प्रति पंजाब, हरियाणा राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सलाहकार को भेजी जाए।

संवाददाता

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

करमबीर डबास,
(अनुवादक)